FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

...जज अदालत उपखण्ड अधिकारी अरांई | मुकाम अराई (अजमेर)

1 करतार पुत्र गोपाल जाति जाट उम्र 30 वर्ष ग्राम सील तहसील अराई, जिला अजमेर वगै

प्रार्थीगण

बनाम

2 किशोरीलाल पुत्र गोविन्दलाल जाति ब्राहमण निवासी सील तहसील अरांई,जिला अजमेर वगै.

अप्रार्थीगण

किस्म मुकदमा 111,128 भू राजस्व अधि0

प्रा. पत्र नंबर 45/2021

ऑनलाइन नंबर 2021/ ....

वकील प्रार्थीगण :–अशोक शर्मा | वकील अप्रार्थीगण ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
...07.2021	यह प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री अशोक शर्मा ने अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत् पेश किया। वादपत्र के साथ संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया, प्रार्थीगण को सुना गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 28.07.2021_को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी अरांई (अजमेर)	
28/7/2021	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप.। अप्रार्थी स. 1 तामिलकुनिन्दा रिपोर्ट अनुसार फौत हो चुका है। अप्रार्थी स. 2 लगायत 10, 12 लगायत 59, 64 लगायत 71 के तामिल शुदा नोटिस शामिल मिसल। अप्रार्थी स. 12 की ओर से वकील श्री ... जी द्वारा अण्डरटेकिंग दी गई। अप्रार्थी स. 60, 61, 62, 63 के नोटिस तामिल अदम तामिल अप्राप्त। P.O. ... वास्ते पत्रावली दिनांक 03/9/2021 को पेश हो [signature]	Undertaking No-12 [signature]
03/9/2021	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उप.। प्रतिवादी वकील उप.। वकील वादी द्वारा ... (अप्रार्थी क्र. 1 के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लेने हेतु ... चाहा। पत्रावली तलबी/जवाब हेतु दिनांक 8/10/2021 को पेश हो। [signature]	

प्रकरण संख्या............./........... उनवान .... बनाम ....

21/3/15	पत्रावली पेश हुई आज ...आर.सी. 154/2016... की ओर से कार्य स्थगन रखा गया। / .... रखा गया। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 16/5/15 को पेश हो।	
16/5/15	पत्रावली पेश हुई आज ...आर.सी. 154/2016 ... की ओर से कार्य स्थगन रखा गया। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 4/7/15 को पेश हो।	
4/7/15	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित। P.O. साहब जुडिशियल कार्य/प्रशासनिक कार्य/दौरे/अवकाश पर पधारे। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार .... दिनांक 22/8/15 को पेश हो।	
22-8-2015	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। प्रतिवादीगण हाजिर। जवाब पेश किया जाकर [illegible] कार्यवाही की जाती है। [illegible] पत्रावली वास्ते [illegible] हेतु दिनांक 19/9/15 को पेश हो।	
19/9/15	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। वादी का वाद खारिज किया जाता है। निर्णय पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली है। पत्रावली [illegible] होकर [illegible] दाखिल दफ्तर हो।	

नंबर ... अहकाम ... हुक्म ... में जारी

...ted by Adv. As...
Reader
Check and Report
न्यायाल...
12/07/2021

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अराई (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती नीतू मीना (आर.ए.एस.)

:: **राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 45/2021. उनवान करतार बनाम किशोरी वगैरह**

1– करतार पुत्र गोपाल उम्र 30 साल
2– मंगल पुत्र काना उम्र 40 साल
3– मोगा पुत्र मोडू उम्र 62 साल
4– सांवरा पुत्र मोडू उम्र 60 साल
5– रामचन्द्र पुत्र काना उम्र 33 साल
6– पांचू पुत्र शिवनारायण उम्र 60 साल
7– भूली पत्नि गोपाल उम्र 60 साल
8– मथुरा पत्नि रंगलाल उम्र 52 साल
9– ललिता पुत्री रंगलाल उम्र 30 साल
10– संतरा पुत्री रंगलाल उम्र 29 साल
11– सम्पत पुत्री गोगा उम्र 32 साल
12– प्रभु पुत्र रंगलाल उम्र 28 साल समस्त जाति जाट निवासी सील तहसील अंराई जिला अजमेर राजस्थान ।

–– प्रार्थीगण

बनाम

1– किशोरीलाल पुत्र गोविन्दलाल जाति ब्राहमण निवासी सील तहसील अंराई जिला अजमेर राजस्थान।
2– दूर्गा पुत्री घीसा
3– सांवरा पुत्र रामलाल
4– बन्ना पुत्र छोटू
5– कल्ली पत्नि रामलाल
6– भूरी पत्नि घीसा
7– सीताराम पुत्र रामलाल
8 भीमराज पुत्र घीसा
9– किशना पुत्र कज्जा
10– शिवराज पुत्र अज्जा
11– कालू पुत्र रामलाल समस्त ज्ञाति नायक निवासी सील तहसील अंराई जिला अजमेर राज० ।
12– प्रहलाद पुत्र बालू
13– रामनिवास पुत्र पांचू
14– जगदीश पुत्र पांचू
15– सीता पुत्री मोडू
16– रतनी पुत्री मोडू
17– कैलाश पुत्र मोडू
18– गणेश पुत्र मोडू समस्त जाति नायक निवासी सील तहसील अंराई जिला अजमेर राज० ।
19– कंवल पत्नि रामलाल
20– मीरा पत्नि स्व० जगदीश
21 सोहन पुत्र रामलाल
22– मोहन पुत्र रामलाल
23– रूपा पुत्र रामलाल
24– विश्राम पुत्र जगदीश ना०बा० जरिये वलि पिता
25– अन्नु पुत्री जगदीश
26– सुमन पुत्री जगदीश
27– कानी पत्नि स्व० मदना
28– नाथू पुत्र मदना
29– नाथी पुत्री मदना
30– पारसी पुत्री मदना
31– मंगल पुत्री मदना
32– लक्ष्मा पुत्री मदना
समस्त जाति नायक निवासी सील तहसील अंराई जिला अजमेर राज ०।
33– अनोपी पत्नि रामरतन
34– कंचन पुत्री बक्सा
35– [illegible]

36– किशनलाल पुत्र छीतर
37– गणेश पुत्र रामनाथ
38– गोगा पुत्र हीरा
39– घीसा पुत्र मोडू
40– घीसा पुत्र लादू
41– घीसी पत्नि रामचन्द्र
42– छीतर पुत्र हरनाथ
43– दशरथ पुत्र मोडू
44– धुकल पुत्र छोटू
45– धन्ना पुत्र रामरतन
46– नन्दलाल पुत्र रामनाथ
47– नारायण पुत्र रामकरण
48– नोसर पत्नि बक्सा
49– बन्ना पुत्र श्रीकिशन
50– मदन पुत्र हरजी
51– मंदोर पुत्री हीरा
52– रतना पुत्र मगना
53– राजी पत्नि रामनाथ
54– रामगोपाल पुत्र बक्सा
55– रामनारायण पुत्र श्रीकिशन
56– रामनिवास पुत्र लादू
57– रामराज पुत्र रिद्धकरण
58– रामलाल पुत्र मोडू
59– विश्राम पुत्र रामनाथ
60– श्योजी पुत्र श्रीकिशन
61– शिवराज पुत्र रिद्धकरण
62– समता पत्नि जगदीश
63– सांवरलाल पुत्र बक्सा
64– श्योजी पुत्र रामकरण
65– हगामा पुत्र हरजी
66– हगामी पत्नि धुकल
67– हरजी पत्नि मगना
समस्त जाति जाट निवासी सील तहसील अंराई जिला अजमेर राज०।
68– भागचन्द दतक पुत्र रतनदास
69– रामनिवास पुत्र सुरजकरण
70– शिवराज पुत्र सुरजकरण
समस्त जाति साधु निवासी सील तहसील अंराई जिला अजमेर राज०।
71.तहसीलदार अंराई जिला अजमेर

—— अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 19/9/2024

प्रार्थीगण की और से एक प्रार्थना पत्र अधिवक्ता श्री रामेश्वरलाल चोधरी एडवोकेट ने अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश किया गया जो बाद जांच रिपोर्ट दिनांक 12.7.2021को दर्ज रजिस्टर दर्ज किया गया । प्रार्थना पत्र में प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने जाहिर किया कि आराजी खसरा नं 0138 रकबा 0.2023 हैक्टयेर एवं खसरा नं0159 रकबा 0.2670 हैक्टयेर वाकें सील पटवार क्षेत्र सान्दोलिया गिरदावर हल्का लाम्बा तह० अंराई जिला अंजमेर राज० में स्थित हैं जो प्रार्थीगण की संयुक्त कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी हैं। उपरोक्त आराजीयात कें पडोस में खसरा नं0 157 रकबा 0.3317 हैक्टयेर एवं खसरा नं0 158 रकबा 3.6324 हैक्टयेर कुल किता 2 कुल रकबा 3.9641 हैक्टयेर बारानी 2 वार्के सील पटवार क्षेत्र सान्दोलिया गिरदावर हल्का लाम्बा तह० अंराई जिला अजमेर राज० में स्थित हैं जो अप्रार्थीया नं० 1 की खातेदारी में अंकित हैं। जो प्रार्थीगण की खातेदारी के दक्षिण मे स्थित है एवं खसरा नं0 146 रकबा 0.2993 हैक्टयेर वाकें सील पटवार क्षेत्र सान्दोलिया गिरदावर हल्का लाम्बा तह० अंराई जिला अजमेर राज० में स्थित हैं जो अप्रार्थीया नं0 2 लगायत 11 की खातेदारी में अंकित हैं। जो प्रार्थीगण की आराजी के दक्षिण मे स्थित है। एवं खसरा नं0 145 रकबा 0. 6310 हैक्टयेर एवं खसरा नं० 170 रकबा 0.8575 हैक्टयेर कुल किता 2 कुल रकबा 1.4885 हैक्टयेर वाकें सील पटवार क्षेत्र सान्दोलिया गिरदावर हल्का लाम्बा तह० अंराई जिला अजमेर राज० में स्थित हैं जो अप्रार्थीया नं० 12 लगायत 19 की खातेदारी में अंकित हैं। जो प्रार्थीगण की खातेदारी के दक्षिणी एवं उतरी

ओर स्थित है, एवं खसरा नं0 141 रकबा 0.6229 हैक्टयेर एवं खसरा नं० 171 रकबा 0.8171 हैक्टयेर वाकें सील पटवार क्षेत्र सान्दोलिया गिरदावर हल्का लाम्बा तह० अंराई जिला अजमेर राज० में स्थित हैं जो अप्रार्थीया नं0 19 लगायत 32 की खातेदारी में अंकित हैं। जो प्रार्थीगण की आराजी के दक्षिणी एवं उतरी ओर स्थित है, एवं खसरा नं0 169 रकबा 7.6370 हैक्टयेर वाकें सील पटवार क्षेत्र सान्दोलिया गिरदावर हल्का लाम्बा तह० अंराई जिला अजमेर राज० में स्थित हैं जो अप्रार्थीया नं0 33 लगायत 67 की खातेदारी में अंकित हैं। जो प्रार्थीगण की आराजी के उतरी और स्थित है, एवं खसरा नं0 652/160 रकबा 2.4270 हैक्टयेर वाकें सील पटवार क्षेत्र सान्दोलिया गिरदावर हल्का लाम्बा तह० अंराई जिला अजमेर राज० में स्थित हैं जो अप्रार्थीया नं0 68 लगायत 70 की खातेदारी में अंकित हैं। जो प्रार्थीगण की आराजी के उतरी और स्थित है, उपरोक्त आराजीयात के पडोस में अप्रार्थी सं० 1 लगायत 70 की आराजी प्रार्थीगण की आराजी के दक्षिणी–उतरी तरफ है जो प्रार्थीगण की आराजी के लगवा है इस प्रकार प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण पडोसी काश्तकार हैं, एवं रेर्कोडेड खातेदार काश्तकार हैं। प्रार्थीगण की आराजी खसरा नं0 138, 159 अप्रार्थीया सं० 1 लगायत 70 की आराजी उसकें लगवा हैं, अप्रार्थीगण सं० 1 लगायत 70 प्रार्थीगण की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी को अनाधिकृत रूप से दबाना चाहते हैं। व सीमा को लेकर विवाद करते हैं।प्रार्थीगण नें दिनांक 02/07/21 को तहसीलदारजी अंराई के आदेश क्रंमाक भु.अ./2021/52 दिनांक 30/06/21 की पालना में दिनांक 02/07/21 को पटवारी हल्का के जरिये उपस्थित मौतबिरान के समक्ष सीमाज्ञान कराकर पत्थर लगाकर निशान कायम करनें लगे तो अप्रार्थीया नं० 1 लगायत 70 विवाद करनें लगे एवं सम्पूर्ण रकबे की सीमा पर निशानात लगानें में व्यवधान पैदा किया ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के लिए यह प्रार्थना पत्र बाबत कराये जानें पत्थरगढी पेश करना आवश्यक हुआ हैं। ताकि सम्पूर्ण विवाद समाप्त हो जायें। अप्रार्थीया नं० 1 लगायत 70 द्वारा दिनांक 02/07/21 को निशानात सीमाज्ञान अनुसार लगानें पर आपत्ति करनें पर वार्के सील तहसील अंराई जिला अजमेर वाद कारण उत्पन्न हुआ हैं। प्रार्थी सं0 71 लेण्ड होल्डर होनें सें उसे पक्षकार कायम किया गया हैं। अतः प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन हैं कि प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आराजी खसरा नं0138 रकबा 0.2023 हैक्टयेर एवं खसरा नं0159 रकबा 0.2670 हैक्टयेर वाकें सील पटवार क्षेत्र सान्दोलिया गिरदावर हल्का लाम्बा तह० अंराई जिला अजमेर की पत्थरगढी करायी जाकर सीमा पर पत्थर गढायें जानें का आदेश तहसीलदारजी तह० अराई कॉ प्रदान करें।प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि के चारों तरफ मुताबिक राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस, मौके पर काबिज काश्त के अनुसार नाप चौप करवा कर सीमाज्ञान करवा कर पत्थर गढ़ी करवाये जाने हेतु आदेश प्रार्थीगण के पक्ष में प्रदान करावे।

पत्रावली वाद तलवी दिनांक 12.7.2021. को पेश हुई ।प्रतिवादी संख्या 38,43,23,12,13,14,22,47 की ओर से वकील इन्द्रेश रामचन्दानी ने वकालतनामा पेश किया । दिनांक 11.3.2022 को वकील प्रार्थी द्वारा आदेश 22 नियम 04 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया । दिनांक 19.9.2025 एकपक्षिय कार्यवाही करने पर पत्रावली वास्ते बहस पेश हुई। वकील उभयपक्षकारान की की बहस सुनी गई। बहस मे वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि आराजी खसरा नं 0138 रकबा 0.2023 हैक्टयेर एवं खसरा नं0159 रकबा 0.2670 हैक्टयेर वाकें सील पटवार क्षेत्र सान्दोलिया गिरदावर हल्का लाम्बा तह० अंराई जिला अजमेर प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि के चारों तरफ मुताबिक राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस, मौके पर काबिज काश्त के अनुसार नाप चौप करवा कर जमाबन्दी व राजस्व ट्रेस के अनुसार चतुर्थ सीमा पर पत्थरगढी करने के प्रार्थीगण के पक्ष में आदेश प्रदान कराने का निवेदन किया है ।

हमारे द्वारा वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई अतः उपरोक्त विवेचन व संलग्न दस्तावेजानुसार प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं आराजी खसरा नं 0138 रकवा 0.2023 हैक्टयेर एवं खसरा नं0159 रकबा 0.2670 हैक्टयेर वाकें सील पटवार क्षेत्र सान्दोलिया गिरदावर हल्का लाम्बा तह० अंराई जिला अजमेर का राजस्व रिकार्ड अनुसार मौके पर नाप चौक कर पत्थरगढी करने हेतु तहसीलदार अराई को कमिश्नर फीस 1000/–रु अक्षरे एक हजार रूपये मात्र, पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण द्वारा कमिश्नर फीस 1000/– रु जमा करवाने पर वे स्वयं मौके पर उपस्थित रहकर तथा पर्याप्त पुलिस जाप्ता व संसाधन लेकर उक्त वाद ग्रस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड के अनुसार पक्षकारान की उपस्थिति में नाप चौक कर पत्थरगढी करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 19/9/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(नीतू मीना)
उपखण्ड अधिकारी
अराई (अजमेर)